न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं

अनुवान लक्ष्मी नारायण बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –592/2025
निर्णय दिनांक 19/12/25

लक्ष्मी नारायण पुत्र मुखाराम जाति सुनार निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 486 के खसरा नं. 1516/888 तादादी 9.7114 है0 रोही ग्राम सात्यूं तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम लिच्छुराम पुत्र मुखाराम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम लक्ष्मी नारायण पुत्र मुखाराम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम लिच्छुराम पुत्र मुखाराम के स्थान पर लक्ष्मी नारायण पुत्र मुखाराम किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः खाता संख्या 486 के खसरा नं. 1516/888 तादादी 9.7114 है0 रोही ग्राम सात्यूं तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नांम लिच्छुराम पुत्र मुखाराम Delete कर इसके स्थान पर लक्ष्मी नारायण पुत्र मुखाराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)